

अनुलग्नक-I (द्रष्टव्य कंडिका 4.1)
बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या: 1प्रा0आ0-15/2008/1597/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/6/08

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 20 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| (i) मुख्य सचिव, बिहार | - अध्यक्ष (पदेन) |
| (ii) विकास आयुक्त, बिहार | - सदस्य |
| (iii) सचिव, वित्त विभाग, बिहार | - सदस्य |
| (iv) सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार | - सदस्य |
| (v) सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार | - सदस्य (समिति के संयोजक) |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(प्रत्यय अमृत)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- 1597/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/6/08
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- 1597/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/6/08
प्रतिलिपि: सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- 1597/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 25/4/08

प्रतिलिपि: सचिव, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 1597/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 25/4/08

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय तथा 100 (एक सौ) प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(प्रत्यय अमृत)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 1597/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 25/4/08

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)

विशेष सचिव